उपखण्ड अधिकारी,बाली

11/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर है कि प्रकरण संस्थापन दिनांक 04-8-2017 के बाद आदिनांक तक ऐसा कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश नही किया गया जिससे प्रमाणित हो कि प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के अनुतोष के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की कसोटी पर खरा नही उतरता है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA 1955 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली जिला - पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली